समाहरणालय, कटिहार

गोपनीय प्रशाखा

कँवल तनुज भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O)
06452-230583(R)
:- +91-9473191375
फैक्स :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

–:: आदेश ::–

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 के अनुसार कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु समेकित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को दिनांक 20.04.2020 से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त के आलोक में कटिहार जिलान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करने की अनुमति संबंधी आदेश इस कार्यालय के ज्ञापांक–1100/सी० दिनांक 21.04.2020 के द्वारा निर्गत है।

अतएव Lockdown की स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्य प्रारंभ कराने हेतु निम्नांकित निदेश निर्गत किये जाते है–

1. औद्योगिक संस्थानों तथा औद्योगिक नगरियों में स्थित Access Control युक्त औद्योगिक इकाईयों हेतु इन्हें अनिवार्य रूप से अपने कामगारों को अपनी ही इकाई में अथवा आस–पास ठहराने का प्रबंध करना होगा।ऐसी इकाइयों द्वारा लगाये गये कामगारो को इस हेतु विशेष वाहनों से लाया जायेगा।
2. औद्योगिक इकाईयों के परिसर सहित अन्य स्थान यथा–मुख्यद्वार, शौचालय, पेयजल स्थल, दीवार आदि को नियमित रूप से Sanitize किया जायेगा।
3. स्थानीय कामगारों से कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य राज्य के कामगारों से कार्य नहीं लिया जाय। कार्य के दौरान कामगारों को Mask, Gloves & Sanitizer की आपूर्ति संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ईकाई के संचालक/प्रबंधन द्वारा की जायेगी एवं Social Distancing का अनुपालन किया जाएगा।
4. औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ईकाई में कार्य करने वाले व्यक्ति के Movement एवं सामग्री ढुलाई के लिए वाहन के Pass की माँग किये जाने पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ईकाई के संचालक/प्रबंधन की अनुशंसा पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार अपने स्तर से Pass निर्गत करेंगे।

अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या–40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक–15.04.2020 द्वारा जारी किए गये दिशा–निर्देश के आलोक में उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार अक्षरशः करना सुनिश्चित करेंगे।

21/4

जिला पदाधिकारी
कटिहार।

ज्ञापांक 1106 **/सी०, कटिहार** **दिनांक** 22 / 4 **/2020 ई०।**

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।
प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– Tracking Cell के वरीय/नोडल पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।